मुकदमों का विवरण

नरेश @नेहरू बनाम।

हरियाणा राज्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1786) अक्टूबर 09,2023

[एस**.** रवींद्र भाट और अरविंद कुमार**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःअपीलार्थियों को दोषसिद्धि दंडनीय यू/एस है।302 आर/डब्ल्यू एस।149, आई. पी. सी. पी. डब्ल्यू.-9 के बयान के आधार पर, अपराध के एक चश्मदीद गवाह के रूप में, यदि न्यायसंगत ठहराया गया हो।

साक्ष्य-प्रत्यक्षदर्शी का-जब उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिएः

आयोजित किया गयाःचश्मदीद गवाह का साक्ष्य बहुत उत्कृष्ट गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए और इसे न केवल अदालत में इसे स्वीकार करने के लिए विश्वास पैदा करना चाहिए, बल्कि यह ऐसी प्रकृति का एक संस्करण भी होना चाहिए जिसे इसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जा सके-वर्तमान मामले में, पीडब्लू-9 (मृतक के चचेरे भाई) की गवाही विसंगतियों से भरी हुई थी और उसने प्राथमिकी में अपीलार्थियों का नाम नहीं लिया था-पीडब्लू-9 के बयान में विरोधाभास स्पष्ट थे-अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा-निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष के मामले में कमी पर विचार न करने के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई।[पैरा 9.1-9.3,10 और 11]

साक्ष्य-सीसीटीवी फुटेज-अपीलार्थियों और सह-अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए रिलायंस को रखा गया**,** यदि उचित होः

आयोजित किया गयाःउक्त साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह गंभीर संदेहों से भरा हुआ था और जिस तरह से यह अस्तित्व में आया, उसने न केवल इसके स्रोत के बारे में बल्कि अपराध स्थल पर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के बारे में भी गंभीर संदेह पैदा किया-पीडब्लू-8 जिसने अपने मोबाइल फोन से 22.04.2016 पर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो बनाया था।

रिकॉर्ड की गई सीडी (Ex.P.3) को 01.06.2016 पर पुलिस को सौंप दिया है-हालाँकि, वीडियो (CD) को पुलिस द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित नहीं किया गया था-पीडब्लू-8 का

दावा है कि उसने अपने मोबाइल फोन से वीडियो डाउनलोड किया और अपने लैपटॉप में स्थानांतरित कर दिया और फिर सीडी (Ex.P.3) तैयार की-न तो लैपटॉप और न ही मोबाइल फोन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था या जांच के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किया गया था-ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष असंगत सबूतों पर आधारित है और पीडब्लू. 8 के साक्ष्य में स्पष्टता की कमी है-उसने प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। पी-एल (आवश्यकतानुसार यू/एस से सुसज्जित)।65-बी, साक्ष्य अधिनियम) जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी जांच नहीं की गई थी-इसके अलावा, निचली अदालत में Ex.P.3 चलाया गया और सत्र न्यायाधीश ने रिकॉर्ड किया कि वीडियो क्लिप से हमलावरों और शिकायतकर्ताओं के चेहरे समझने योग्य नहीं थे-पीडब्लू-8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि प्रमाण पत्र Ex.PL एक पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था, और उसने Ex.PL पर अपने हस्ताक्षर किए थे-उसने यह भी स्वीकार किया कि हमलावरों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे और पहचान करने में सक्षम नहीं थे और मोटरसाइकिलों के पंजीकरण नंबर भी दिखाई नहीं दे रहे थे-जांच अधिकारी (पीडब्लू-15) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तों के चेहरे स्पष्ट नहीं हैं।s.65-B। [पैरा 9.4,9.5]

साक्ष्य अधिनियम**, 1872-ss.25, 26 –** अभियुक्तों और सह**-**अभियुक्तों का इकबालिया बयान दर्ज किया गया था जब वे पुलिस हिरासत में थेः

आयोजित किया गयाःएस. एस. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के इकबालिया बयान अस्वीकार्य हो जाएंगे।25, 26 –धारा 25 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगी-इसी तरह,धारा 26 में कहा गया है कि ऐसा कोई भी बयान पुलिस हिरासत में दिए जाने पर अस्वीकार्य है।[पैरा 9.6]

दंड संहिता**, 1860 -s.149:**

आयोजित किया गयाःएस को आकर्षित करने के लिए।149, अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाया जाना चाहिए कि इस तरह की गैरकानूनी सभा द्वारा सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोषारोपण कार्य किया गया था-यह अन्य सदस्यों के ज्ञान में होना चाहिए क्योंकि सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने की संभावना है-भले ही आरोपी पर कोई स्पष्ट कार्य नहीं लगाया जाता है, गैरकानूनी सभा के हिस्से के रूप में आरोपी की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है-एक सामान्य उद्देश्य का निष्कर्ष विभिन्न कारकों से निकाला जाना चाहिए जैसे कि हथियार जिनके साथ 773

नरेश @नेहरू बनाम हरियाणा राज्य 774

सदस्य सशस्त्र थे, उनकी हरकतें, उनके द्वारा की गई हिंसा के कार्य और अंतिम परिणाम-वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक सदस्य ने गैरकानूनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामान्य इरादे को बाधित किया था-तथ्यों पर, कथित उद्देश्य एक झगड़ा था जो दुल्हंडी के दिन 'ए' (मृतक) और 'एस' के साथ एक 'आर' और 'एन' के बीच हुआ था और 'आर' के बारे में कहा गया था

कि उसने 'ए' को मारने की धमकी दी थी-यह कारक स्पष्ट रूप से बताता है कि यहां अपीलकर्ता दुल्हंडी के दिन हुई घटना में शामिल नहीं थे और इसलिए अपीलकर्ताओं को कोई उद्देश्य नहीं दिया जा सकता था-अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं ने एक सामान्य उद्देश्य साझा किया था।[पैरा 10]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

राय संदीप @दीपू उर्फ दीपू बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2012) 8 एस. सी. सी. 21:[2012] 6 एस. सी. आर. 1153; महबूब अली और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य

(2016) 14 एससीसी 640:[2015] 10 एससीआर 553; इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य (2015) 11 एससीसी 31:[2015] 7 एस. सी. आर. 1083; रॉय फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य और अन्य (2012) 3 एस. सी. सी. 221:[2012] 1 एस. सी. आर. 477-निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 1786।

2017 के सी. आर. ए. डी. No.1063 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.01.2020 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की आपराधिक अपील Nos.1787-1788।

रूप:

सिद्धार्थ मित्तल, प्रभात कुमार, वैभव तोमर, श्रीमती शिल्पा जी मित्तल, सौमिक घोषाल, विकास वालिया, सैयद एम शोएब, सुश्री दृष्टि हरपलानी, गौरव सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

श्रीमती मनीषा अग्रवाल नारायण, ए. ए. जी., समर विजय सिंह, केशव मित्तल, सुश्री सबर्नी सोम, संदीप सिंह सोमारिया, शिवांगी जी., अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च

न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश अरविंद कुमार, जे।

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की आपराधिक अपील 997 और 1043 में दिए गए 2017 के न्यायिक निर्णय को चंडीगढ़ में इन अपीलों में चुनौती दी गई है, जिसके तहत आरोपी 5 और 6 (यहां अपीलकर्ता) जिन्हें सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (संक्षिप्त में 'आई. पी. सी.') के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

संक्रमण के मामले का विवरणः

2. ए. एस. आई. राम किशन को 75 फीट सड़क पर गश्त करते समय टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि गांव माहेश्वरी में कुछ लोगों ने एक लड़के पर गोली चलाई है और वहां पहुंचने पर मोहित उर्फ काला का बयान दर्ज किया गया, जो इस बात का संकेत था कि शाम करीब साढ़े छह बजे उसके चचेरे भाई अजय और सूरज एक्स के घर के सामने बात कर रहे थे। सरपंच करण सिंह और वे धर्मेंद्र के घर के पास थे और उन्होंने (मोहित) अजय और सूरज को धर्मेंद्र के घर की ओर भागते हुए देखा क्योंकि बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक उनका पीछा कर रहे थे।मोहित @काला ने यह भी कहा कि बुलेट मोटरसाइकिल रवि चला रहा था, शोएब खान पीछे बैठा था और उनके पीछे एक अज्ञात व्यक्ति बैठा था।यह भी कहा गया कि दो और मोटरसाइकिलें, जिनमें से प्रत्येक पर दो सवार थे, और जिनके हाथों में डंडे थे, बुलेट मोटरसाइकिल का पीछा कर रहे थे।यह भी आरोप लगाया गया था कि बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठे अज्ञात व्यक्ति ने नीचे उतरकर अजय पर देसी रिवॉल्वर से हमला किया, जो उसके सिर में लग गई और अजय धर्मेंद्र के घर के सामने गिर गया।सूरज धर्मेंद्र के घर में छिप गया और शोर मचाने पर हमलावर अपनी मोटरसाइकिलों पर भिवाड़ी की ओर भाग गए; मोहित उर्फ काला ने यह भी कहा है कि घायल अजय को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था; आगे कहा गया है कि रवि अपने स्कूल में पढ़ रहा था और उसका जूनियर था और वह सभी को धमकाता और धमकाता था।मोहित ने यह भी कहा कि अजय और सूरज की फिल्म 775 थी।

नरेश @नेहरू बनाम हरियाणा राज्य [अरविंद कुमार, जे.] 776

'दुल्हंडी' के दिन रवि के साथ और उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और रवि ने अपने साथियों के साथ अजय को मारने के इरादे से उस पर हमला किया था।उक्त कथन के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 148,149,307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफ. आई. आर. दर्ज की गई और अजय की मृत्यु पर (आई. डी. 1 पर) आई. पी. सी. की धारा 307 के स्थान पर आई. पी. सी. की धारा 302 को प्रतिस्थापित किया गया और अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; प्रथम अभियुक्त (पवन) के प्रकटीकरण बयान पर देशी पिस्तौल बरामद की गई और अभियुक्त संख्या 2 (धर्मेंद्र) के बयान के अनुसार चार मोटरसाइकिलों के अलावा लकड़ी की छड़ी बरामद की गई।अभियुक्तों में से एक-शोएब को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और रवि पर बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत बाल न्यायालय

द्वारा मुकदमा चलाया गया।छह अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किया गया था और अभियोजन की ओर से सभी 18 गवाहों से पूछताछ की गई थी।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'Cr.P.C.') के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए और अभियुक्त ने अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली आपत्तिजनक सामग्री से इनकार करते हुए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।अभियुक्त व्यक्तियों और लोक अभियोजक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और अदालत के समक्ष रखे गए साक्ष्य की सराहना करने पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 2 के निर्णय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया जो पहले ही ऊपर देखे जा चुके हैं और कहा कि दोषसिद्धि और सजा का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से विवादित आदेश के तहत लागू किया गया था।इसलिए, इन अपीलों को अभियुक्त Nos.4 द्वारा 6 के बजाय प्राथमिकता दी गई है।

3. हमने श्री सिद्धार्थ मित्तल और श्री विकास वालिया, क्रमशः 2023 की आपराधिक अपील Nos.1786 और 2023 की 1787-1788 में अभियुक्त-अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ताओं और हरियाणा राज्य की ओर से पेश होने वाली विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री मनीषा अग्रवाल नारायण, प्रतिवादी को सुना है।

अपीलकर्ताओं के स्वयं के बारे में सुझावः

4. श्री सिद्धार्थ मित्तल, नरेश @नेहरू अभियुक्त संख्या 4 की ओर से पेश अपीलार्थी के विद्वान वकील, तर्क देते हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने मोहित @काला (पीडब्लू-9) के बयान पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किए बिना उन्हें दोषी ठहराने में त्रुटि की थी, जिसके तहत उन्होंने अपीलार्थी का नाम नहीं लिया था और सीसीटीवी फुटेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अनुरूप नहीं था, जो अन्यथा भी अधिनियम ए-4 के अनुरूप नहीं था।

उपस्थिति।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टी. आई. पी. 'संक्षेप में') आयोजित नहीं की गई थी, और पी. डब्ल्यू.-9 ने अदालत में केवल इस आरोपी (ए-4) की पहचान की थी।श्री मित्तल विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि कथित गवाह (पीडब्लू-9) तब हैरान या उलझन में था जब उसका बयान दर्ज किया गया जैसा कि उसने स्वीकार किया था और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए उक्त सबूत पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।वह आगे तर्क देगा कि ए-4 का मुख्य आरोपी पवन (पीडब्लू-1) के साथ साझा करने के लिए कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अजय (मृतक) पर गुस्से में था।विद्वान वकील श्री मित्तल ने यह भी तर्क दिया कि पीडब्लू-9 एक इच्छुक गवाह था क्योंकि वह मृतक का करीबी रिश्तेदार था, और अदालत के समक्ष दिए गए उसके बयान में सुधार सहित विभिन्न विसंगतियां, उसकी गवाही को संक्षेप में दरकिनार करने का आधार होनी चाहिए थी।विद्वान अधिवक्ता श्री मित्तल इंगित करेंगे कि पीडब्लू-9 के बयान में विसंगतियां स्पष्ट रूप से सामने आई थीं जो अपीलार्थी द्वारा

चलाए जा रहे स्प्लेंडर वाहन के बारे में पुलिस को सूचित नहीं करने की उनकी स्वीकारोक्ति से स्पष्ट थी और इस तथ्य को निचली अदालतों द्वारा आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया था।श्री मित्तल, विद्वान वकील यह भी तर्क देंगे कि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सीसीटीवी फुटेज को पीडब्लू-8 द्वारा मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया था और एक सीडी में परिवर्तित किया गया था, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अनुरूप नहीं था और इसे कथित रूप से 26.04.2016 पर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 01.06.2016 पर पुलिस को सौंप दिया गया था और इस अंतराल अवधि के दौरान उक्त रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।अन्यथा भी हमलावरों का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में पहचानने में सक्षम नहीं था जैसा कि स्वयं निचली अदालत ने पाया था और इसलिए, अपीलार्थी (ए-4) को फंसाने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था।

5. वह तर्क देगा कि अभियुक्त व्यक्तियों का कथित उद्देश्य दुल्हंडी के दिन मृतक, सूरज, रवि और नब्बू के बीच हुए झगड़े के कारण है और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ कोई सामान्य उद्देश्य साझा किया गया था।उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी पर किसी भी हथियार से लैस होने का आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए हमला करने के सामान्य उद्देश्य के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था।वह प्रस्तुत करेंगे कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालतों द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करके अपनाया गया तर्क कि टी. आई. पी. आयोजित नहीं किया गया था और केवल पीडब्लू-9 के घटना से पहले शेष अभियुक्त को आमने-सामने से जानने के आधार पर गलत था, हालांकि पीडब्लू-9 की गवाही 777 होगी।

नरेश @नेहरू बनाम हरियाणा राज्य [अरविंद कुमार, जे.] 778

यह सुझाव देता है कि आरोपी व्यक्तियों को वह पहले नहीं जानता था और साक्ष्य में उसकी स्वीकारोक्ति जो उनके बारे में तब पता चली जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए।पहली बार में अभियुक्त व्यक्तियों के नामों का खुलासा न करने से अपीलार्थी की पहचान के बारे में उचित संदेह पैदा होता है।अपीलार्थी (ए-4) के विद्वान वकील का यह भी तर्क होगा कि पीडब्लू-9 का बयान दर्ज करने में अस्पष्टीकृत देरी हुई थी, अर्थात् यह 11 पर दर्ज किया गया था:30 शाम 6 बजे हुई घटना के बावजूद:30 इस अवधि के दौरान पी. एम. और पी. डब्ल्यू-9 मौजूद थे।अपीलार्थी के कथित इकबालिया बयान का साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के आलोक में कोई मूल्य नहीं है और कहा गया बयान इस बात का संकेत नहीं देता है कि अपीलार्थी द्वारा अन्य हमलावरों के साथ किसी भी सामान्य उद्देश्य को साझा किया गया है।इसलिए, वह अपनी अपील को स्वीकार किए जाने और अपीलार्थी (ए-4) को बरी किए जाने के लिए प्रार्थना करता है।

6. 2023 की आपराधिक अपील Nos.1787-1788 में अपीलकर्ताओं, अर्थात् इरशाद और सोनू कुमार (क्रमशः आरोपी संख्या 5 और 6) की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री विकास वालिया का तर्क है कि नीचे की अदालतों ने इस तथ्य पर विचार नहीं करने में गलती की थी कि आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के अपराध के लिए दंडित होने के लिए

उत्तरदायी व्यक्ति को यह साबित करने के लिए आवश्यक होगा कि ऐसे व्यक्तियों ने एक सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में काम किया था।उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं को पवन (आरोपी नंबर 1) के पास पिस्तौल होने के बारे में पता था और उसका अजय को मारने का इरादा/उद्देश्य था और इस तरह के इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।वह तर्क देंगे कि गैरकानूनी सभा में अपीलार्थियों की संलिप्तता और अजय को मारने के लिए एक सामान्य उद्देश्य साझा करने का अनुमान मामले की परिस्थितियों में नहीं लगाया जा सकता है, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष के रुख का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलार्थी पवन (ए-1) के पास पिस्तौल होने के बारे में जानते थे।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि गैरकानूनी सभा के सदस्य अजय की हत्या के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्र हुए थे, जैसा कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है।अभियुक्त के बीच साझा उद्देश्य का सुझाव देने वाला कोई सबूत नहीं था।सीसीटीवी फुटेज, जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया था, अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार करने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि वीडियो में दिखाई देने वाले चेहरे स्पष्ट नहीं थे और यह स्वयं अपील की अनुमति देने और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को दरकिनार करने के लिए एक अच्छा आधार होगा।

वह यह भी तर्क देंगे कि अपीलकर्ता उस गाँव के निवासी नहीं थे जहाँ घटना हुई थी और इस पहलू पर Cr.P.C की धारा 161 के तहत दर्ज पीडब्लू-9 के बयान में कोई कानाफूसी नहीं है।इसलिए, वह ए-5 द्वारा पसंद की गई अपील के लिए प्रार्थना करता है, और ए-6 को विवादित फैसले को दरकिनार करके अनुमति दी जाए।

विश्लेषण और निर्णयः

8. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुनने के बाद और नीचे दी गई अदालतों के फैसलों को देखने के बाद, यह सामने आएगा कि सभी अभियुक्तों की दोषसिद्धि पीडब्लू-9 की गवाही और मोटर-साइकिल की बरामदगी और घटना की तारीख पर दर्ज अपने बयान में पीडब्लू-9 द्वारा बताए गए अपराध के उद्देश्य पर आधारित है।इस पृष्ठभूमि में, हमने बार में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए नीचे दी गई अदालतों के फैसलों का अध्ययन किया है।

9. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अजय की हत्या के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जो मकसद बताया गया है, वह यह था कि उसने (अजय) और सूरज ने दुल्हंडी के दिन रवि के साथ झगड़ा किया था, जहां रवि ने उन्हें मारने की धमकी दी थी और उक्त धमकी को आगे बढ़ाते हुए कहा जाता है कि वह अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आया था, और बुलेट मोटर-साइकिल पर बैठे एक व्यक्ति ने पिस्तौल से अजय पर हमला किया था, जबकि रवि बुलेट मोटरसाइकिल चला रहा था।पीडब्लू-9 ने यह भी बयान दिया था कि अजय सूरज के साथ था, जो मृतक के साथ भागा और

खुद को धर्मेंद्र के घर में छिपा लिया।हालाँकि, पुलिस ने सूरज का बयान दर्ज नहीं किया, और उसे अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में भी उद्धृत नहीं किया गया।अभियोजन पक्ष की कहानी या दोषपूर्ण जांच में यह पहला अंतर होगा।

9.1 अभियोजन पक्ष ने मोहित @काला (पीडब्लू -9) और निचली अदालतों ने उसे आरोपी को दोषी ठहराने के लिए एक स्टार गवाह के रूप में स्वीकार किया।पीडब्लू-9 की गवाही विसंगतियों से भरी हुई थी और उन्होंने प्राथमिकी में अपीलकर्ताओं का नाम नहीं लिया था और नरेश @नेहरू को स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के चालक के रूप में पहचानने में विफल रहे थे।उसने अदालत में इरशाद और सोनू कुमार की पहचान की थी, लेकिन पुलिस के सामने दिए गए अपने बयान में उनका नाम नहीं लिया था।अपनी जिरह में, पीडब्लू-9 ने पल्सर मोटरसाइकिल और दो अन्य स्प्लेंडर मोटरसाइकिलों के बारे में पुलिस को सूचित नहीं करने की बात स्वीकार की।उन्होंने अपने बयान Ex.PM में कहा कि पीड़ित अजय और उनके दोस्त सूरज का तीन मोटरसाइकिलों, क्रमशः बुलेट, स्प्लेंडर और पल्सर मोटरसाइकिलों द्वारा पीछा किया जा रहा था।हालांकि, बयान में 779

अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, उन्होंने यह बयान देकर अपने बयान में सुधार किया कि पीड़ित का चार मोटरसाइकिलों द्वारा पीछा किया जा रहा था।जिरह में, पीडब्लू-9 ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को सूचित किया कि मृतक का चार मोटरसाइकिलों द्वारा पीछा किया गया था और Ex.PM में उसके बयान की सामग्री को सही बताया।ये विसंगतियाँ संदेह को जन्म देती हैं और अभियोजन पक्ष की कहानी में संदेह पैदा करती हैं।

9.2 पीडब्लू-9 ने अपने बयान में केवल रवि और शोएब का नाम लिया था और अदालत के समक्ष पहली बार उसने नरेश (ए-4), इरशाद और सोनू (ए-9 और ए-6) की पहचान की थी।उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वह घटना से पहले केवल रवि और शोएब को जानता था, और जब अन्य आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें उनके नाम के बारे में पता था।इससे घटना स्थल पर ही पीडब्लू-9 की उपस्थिति के बारे में संदेह पैदा होता है।निर्विवाद रूप से इरशाद और सोनू से कोई वसूली नहीं की गई थी।पीडब्लू-9 के बयान में विरोधाभास स्पष्ट है।अपने बयान में वह स्वीकार करता है कि उसका बयान पुलिस ने 10 बजे लिखा थाः45 पीएम ने 22.04.2016 पर, जबकि पीडब्लू-12 (एएसआई राम किशन) ने बयान दिया कि लिखित बयान EX.PM को शिकायतकर्ता के पक्ष द्वारा 11 बजे पुलिस को सौंप दिया गया थाः30 22.04.2016 पर पीएम। पीडब्लू-9 और यह भी बयान देता है कि पुलिस 10 के बीच अपराध स्थल पर पहुंचीः30-11:00 प्रधानमंत्री, अपराध स्थल पर पीडब्लू-9 के बयान की रिकॉर्डिंग के बारे में गंभीर संदेह पैदा कर रहे हैं जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है।

9.3 जैसा कि ऊपर देखा गया है, चश्मदीद गवाह का साक्ष्य बहुत उत्कृष्ट गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए और इसे न केवल अदालत में इसे स्वीकार करने के लिए विश्वास पैदा करना चाहिए, बल्कि यह ऐसी प्रकृति का एक संस्करण भी होना चाहिए जिसे इसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जा सके।राय संदीप के मामले में यह अदालत

@ दीपू उर्फ दीपू बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2012) 8 एस. सी. सी. 21 ने कहा हैः

“22. हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए जिसका संस्करण, इसलिए, अनुपलब्ध होना चाहिए।ऐसे गवाह के बयान पर विचार करने वाली अदालत को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए।ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई प्रासंगिक होगी।जो अधिक प्रासंगिक होगा वह प्रारंभिक बिंदु से अंत तक बयान की स्थिरता होगी, अर्थात् उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष।यह स्वाभाविक और सुसंगत होना चाहिए।

अभियोजन पक्ष के मामले में अभियुक्त।ऐसे गवाह के बयान में कोई पूर्वधारणा नहीं होनी चाहिए। गवाह को किसी भी अवधि की प्रतिपरीक्षा का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ उसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह के लिए जगह नहीं देनी चाहिए। इस तरह के संस्करण का प्रत्येक अन्य सहायक सामग्री के साथ सह-संबंध होना चाहिए जैसे कि की गई बरामदगी, उपयोग किए गए हथियार, किए गए हथियार, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय।उक्त संस्करण को हर दूसरे गवाह के संस्करण के साथ लगातार मेल खाना चाहिए।यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके खिलाफ कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई गुम कड़ी नहीं होनी चाहिए।केवल तभी जब ऐसे गवाह का संस्करण उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों के लिए योग्य हो, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" के रूप में बुलाया जा सकता है, जिसका संस्करण अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है।अधिक सटीक होने के लिए, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का संस्करण बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी परिचर सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुओं को सामग्री विवरणों में उक्त संस्करण से मेल खाना चाहिए ताकि अदालत को मूल संस्करण पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि अभियुक्त को आरोप के दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्री की छान-बीन की जा सके।”

मृतक के चचेरे भाई पीडब्लू-9 से अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की गई।हालांकि, घटनास्थल पर पीडब्लू-9 की उपस्थिति विरोधाभासों के कारण संदेह पैदा करती है।हालाँकि सूरज, जो मृतक का चचेरा भाई भी था, मृतक के साथ था, लेकिन पीडब्लू-9 ने कभी भी आरोपी व्यक्तियों के नाम का पता लगाने के लिए उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की।यह उनकी उपस्थिति के

बारे में एक गंभीर संदेह पैदा करता है जिसे निचली अदालतों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। घटनास्थल पर पीडब्लू-9 की उपस्थिति संदेह पैदा करती है और उसके साक्ष्य की सत्यता पर सवाल उठाती है।अभियोजन पक्ष के मामले में यह दूसरी कमी है।

9.4 निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं और सह-अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया है।हालाँकि, हमारा विचार है कि उक्त साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह 781 संक्रमित था।

गंभीर संदेहों और जिस तरह से यह अस्तित्व में आया, उससे न केवल इसके स्रोत के बारे में गंभीर संदेह पैदा होगा, बल्कि अपराध स्थल पर अपीलार्थियों की उपस्थिति के बारे में भी गंभीर संदेह पैदा होगा।पीडब्लू-8, जिसने अपने मोबाइल फोन से सीसीटीवी फुटेज का वीडियो 22.04.2016 पर बनाया और रिकॉर्ड की गई सीडी (Ex.P.3) को 01.06.2016 पर पुलिस को सौंपने का दावा किया है।हालांकि, वीडियो (सीडी) को पुलिस द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को नहीं भेजा गया है।वह (पीडब्लू-8) अपने मोबाइल फोन से वीडियो डाउनलोड करने और अपने लैपटॉप में स्थानांतरित करने और फिर सीडी (Ex.P.3) तैयार करने का दावा करता है।अभियोजन पक्ष द्वारा न तो लैपटॉप और न ही मोबाइल फोन पेश किया गया था और न ही जांच के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किया गया था।निचली अदालत का निष्कर्ष असंगत साक्ष्य पर आधारित है और पीडब्लू. 8 के साक्ष्य में स्पष्टता की कमी है।उन्होंने प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है। पी. एल. (साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत आवश्यकतानुसार प्रस्तुत) जो प्रमाण पत्र पुलिस अधिकारी श्री अमन द्वारा तैयार किया गया था और उनसे पूछताछ नहीं की गई है।सी. डी. (Ex.P.3) को निचली अदालत में चलाया जाता था और सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया अवलोकन जो कि निम्नलिखित प्रभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

"न्यायालय का उद्देश्यः- वीडियो क्लिप से हमलावरों और शिकायतकर्ताओं के चेहरे समझने योग्य नहीं हैं।"

(9. 5 वह (पीडब्लू-8) अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि पूर्व को प्रमाणित करता है। पीएल एक पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था, और उसने (पीडब्लू-8) Ex.PL पर अपने हस्ताक्षर किए थे। वह यह भी स्वीकार करता है कि हमलावरों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं और पहचान करने में सक्षम हैं और मोटरसाइकिलों के पंजीकरण नंबर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।इस मोड़ पर यह ध्यान देना उचित है कि जाँच अधिकारी (पीडब्लू-15) भी अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि वीडियो से अभियुक्तों के चेहरों की पहचान नहीं की जा सकती है।पीडब्लू-8 के अनुसार उक्त वीडियो धर्मेंद्र के घर में स्थित सीसीटीवी कैमरे से लिया गया था और उन्हें (धर्मेंद्र) कभी भी अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था।यह अवज्ञापूर्ण जाँच का तीसरा चरण है और दोष अनिवार्य रूप से उनके दरवाजे पर लगाया जाना चाहिए और संदेह का लाभ अभियुक्त व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए।

9.6 अभियुक्तों और सह-अभियुक्तों का इकबालिया बयान तब दर्ज किया गया जब वे पुलिस हिरासत में थे।महबूब अली में यह अदालत

& एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2016) 14 एस. सी. सी. 640 ने आयोजित किया हैः

“12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगी।धारा 26 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किया गया कोई भी इकबालिया बयान, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।धारा 27 एक परंतुक के रूप में है, यह बताती है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी को कितना साबित किया जा सकता है।

13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए, इकबालिया बयान के स्वीकार्य हिस्से को एक ऐसे तथ्य के रूप में पाया जाना चाहिए जो खोज का तत्काल कारण था, केवल वही कानूनी साक्ष्य का हिस्सा होगा और बाकी नहीं।बयान में यदि आरोपी से कुछ नया पाया जाता है या बरामद किया जाता है जो आरोपी का खुलासा बयान दर्ज होने से पहले पुलिस की जानकारी में नहीं था, तो सबूत में स्वीकार्य है।

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का उल्लेख तब होता है जब कोई "तथ्य" सामने आ जाता है। अधिनियम की धारा 3 में तथ्य की अवहेलना की गई है। वही नीचे उद्धृत किया गया हैः

“‘ तथ्य '।— ‘'तथ्य' का अर्थ है और इसमें शामिल हैं -

(1) कोई भी चीज, चीजों की स्थिति, या चीजों का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है;

(2) कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत हो।

दृष्टांत

(क) यह एक तथ्य है कि कुछ वस्तुएँ एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं।

(ख) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा है।(ग) कि एक आदमी ने कुछ शब्द कहे, यह एक तथ्य है।

(घ) कि एक व्यक्ति एक निश्चित राय रखता है, एक निश्चित इरादा रखता है, सद्भावना से या धोखाधड़ी से कार्य करता है, या एक विशेष अर्थ में एक विशेष शब्द का उपयोग करता है, या एक विशिष्ट समय पर किसी विशेष संवेदना के प्रति सचेत है या था, यह एक तथ्य है।

(ई) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति की एक निश्चित प्रतिष्ठा होती है।

'प्रासंगिक '।—एक तथ्य को दूसरे के लिए प्रासंगिक कहा जाता है जब एक तथ्य की प्रासंगिकता से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से दूसरे के साथ जुड़ा होता है।" तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए अभियुक्त का इकबालिया बयान उन अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था जब अभियुक्त 4,5 और 6 पुलिस हिरासत में थे।इसलिए, 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उक्त बयान अस्वीकार्य हो जाएगा।अधिनियम की धारा 25 किसी भी अनिश्चित शब्दों में यह स्पष्ट करती है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी स्वीकारोक्ति किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगी।इसी तरह, धारा 26 में कहा गया है कि यदि ऐसा कोई भी बयान पुलिस हिरासत में दिया जाता है तो वह अस्वीकार्य है।इस प्रस्ताव के लिए,

इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य (2015) 11 में इस न्यायालय का निर्णय

एस. सी. सी. 31 को देखा जा सकता है।10. जैसा कि यहाँ पहले ही देखा जा चुका है कि अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 149 को लागू करके अभियुक्त व्यक्तियों के एक समान उद्देश्य के आधार पर अभियुक्त के अपराध को दूर करने का प्रयास किया है। यह प्रावधान एक अलग अपराध नहीं बनाता है, बल्कि केवल समान उद्देश्य में किए गए कार्यों के लिए गैरकानूनी सभा के सभी सदस्यों के प्रत्यावर्ती दायित्व की घोषणा करता है।इस प्रकार, संहिता की धारा 149 को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाया जाना चाहिए कि इस तरह की गैरकानूनी सभा द्वारा सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपराधकारी कार्य किया गया था।यह अन्य सदस्यों के ज्ञान के भीतर होना चाहिए क्योंकि एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होने की संभावना है।भले ही अभियुक्त पर कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं लगाया गया हो, फिर भी गैरकानूनी सभा के हिस्से के रूप में अभियुक्त की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।एक आम उद्देश्य का निष्कर्ष विभिन्न कारकों से निकाला जाना चाहिए जैसे कि जिन हथियारों से सदस्य सशस्त्र थे, उनकी हरकतें, उनके द्वारा किए गए हिंसा के कार्य और अंतिम परिणाम।रॉय फर्नांडीस बनाम राज्य मामले में यह अदालत

गोवा और अन्य (2012) 3 एस. सी. सी. 221 आयोजित किए गए हैं:

"18. यह हमें इस सवाल के साथ छोड़ देता है कि क्या एक गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा हत्या का कार्य, जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या नहीं है, आई. पी. सी. की धारा 149 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा?

19. आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **149** में लिखा है:

“149. गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध के लिए दोषी है

सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में।—यदि उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है, या जैसे कि उस सभा के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करने के समय, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध के लिए दोषी है।”

उपरोक्त के एक सादे पठन से पता चलेगा कि प्रावधान दो भागों में है।प्रथम भाग उन मामलों से संबंधित है जिनमें सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उस सभा के "सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में" अपराध किया जाता है।दूसरा भाग उन मामलों से संबंधित है जहां किसी छूट का कार्य अपने आप में गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन ऐसी सभा के सदस्य "जानते थे कि सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में भी ऐसा ही होने की संभावना है"।

20. जैसा कि ऊपर देखा गया है, फेलिक्स फेलिसियो मोंटेरो की हत्या का अपराध अपने आप में मामले में गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य नहीं था।और फिर भी सभा गैरकानूनी थी क्योंकि मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित होता है कि सभा में शामिल व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य निश्चित रूप से आई. पी. सी. की धारा 141 के खंड (3) के विचार के भीतर या तो शरारत या आपराधिक अतिचार या कोई अन्य अपराध करना था, जो इस स्तर पर वर्तमान के लिए प्रासंगिक हो सकता है:

“141. गैरकानूनी सभा।—पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा को 'गैरकानूनी सभा' नामित किया जाता है, यदि उस सभा को बनाने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है -

सबसे पहले।—***

दूसरा।—***

तीसरा।—किसी भी शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य अपराध को करना;21. अभिलेख पर साक्ष्य से, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि भले ही हत्या करना अभियुक्त व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य नहीं था, वे निश्चित रूप से 785 से डरने के उद्देश्य से मौके पर आए थे।

और आपराधिक बल का उपयोग करके मृतक को बाड़ लगाने से रोकें।यह कि उन्होंने वास्तव में गवाहों को थप्पड़ मारा और बॉक्सिंग की, जिनमें से एक ने अपने दो दांत खो दिए और दूसरे को फ्रैक्चर हो गया, केवल इस बात को साबित करता है।

22. फिर जिस पर विचार किया जाना बाकी है वह है:क्या गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में अपीलार्थी को पता था कि मृतक की हत्या भी उसे बाड़ लगाने से रोकने के उद्देश्य के अभियोजन में एक संभावित घटना थी?उस प्रश्न का उत्तर उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनमें घटना हुई थी

और गैरकानूनी सभा के सदस्यों के आचरण, जिसमें वे हथियार भी शामिल हैं जो वे ले गए थे या मौके पर इस्तेमाल किए गए थे।इस न्यायालय द्वारा लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1989) 1 एस. सी. सी. 437 में ऐसा कहा गया थाः1989 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 211] निम्नलिखित शब्दों मेंः(एस. सी. सी. पी. 441, पैरा 8)

"8. … गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य सभा की प्रकृति, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और घटना स्थल पर या उससे पहले सभा के व्यवहार से एकत्र किया जा सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।"

23. न्यायालय ने धरम पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[(1975) 2** एस**.** सी**.** सी**. 596** में उपरोक्त प्रस्ताव को विस्तार से बताया**:1975** एस**.** सी**.** सी**. (**सी**.** आर**.** आई**.) 704]** के रूप में**:(**एस**.** सी**.** सी**.** पी**. 603,** पैरा **11)**

"11. भले ही तत्काल मामले में हमलावरों की संख्या एफ. आई. वी. से कम हो सकती थी (जो, हम सोचते हैं, ऊपर बताए गए तथ्यों पर, वास्तव में संभव नहीं था), हम सोचते हैं कि यह तथ्य कि हमलावर पक्ष को स्पष्ट रूप से देखा गया था कि उसने 7-6-1967 के शुरुआती घंटों में दरियाव के एफ. आई. एल. डी. के पास बग्गी के पहुंचने का इंतजार किया था, पूर्व-योजना को दर्शाता है।कुछ हमलावरों के पास धारदार हथियार थे।वे स्पष्ट रूप से बग्गी के आने का इंतजार कर रहे थे।उन्होंने रहने वालों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि रहने वालों को मार दिया जाएगा।हम नहीं समझते कि पूर्व संगीत कार्यक्रम के अधिक विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता थी।इसलिए, अगर हम इसे आवश्यक समझते, तो हम इस मामले में आई. पी. सी. की धारा 34 को भी लागू करने में संकोच नहीं करते।प्रत्यावर्ती दायित्व का सिद्धांत आवश्यक संख्या में व्यक्तियों को दोषी ठहराने की आवश्यकता पर निर्भर नहीं करता है।यह तथ्यों के प्रमाण पर निर्भर करता है, जो उचित संदेह से परे है, जो इस तरह के सिद्धांत को लागू करता है।(देखें यशवंत बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 639:1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 684 और सुख

राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1974) 3 एस. सी. सी. 656:1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 186]) जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर सबसे सामान्य और बुनियादी नियम यह है कि तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से जो वास्तव में एक अनुमान है, उस पर पहुंचने के लिए कोई समान, अनिवार्य या अपरिवर्तनीय नियम लागू नहीं है, जो मामले-दर-मामले भिन्न होता है।हमें इस समग्रता पर प्रत्येक मामले में दिए गए तथ्यों के प्रभाव की जांच करनी होगी।यह शायद ही कभी किसी अन्य मामले में बिल्कुल समान होता है।अन्य नियम वास्तव में इस बुनियादी सच्चाई के सहायक हैं और उनके सही अनुप्रयोग के लिए उन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जिनके संदर्भ में वे प्रतिपादित किए गए हैं।"

विवादित आदेश द्वारा तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रत्येक सदस्य ने गैरकानूनी उद्देश्य को पूरा करने के सामान्य इरादे को बाधित किया था।हाथ में मौजूद तथ्यों से पता चलता है कि कथित मकसद एक झगड़ा था जो रवि और नब्बू के बीच अजय और सूरज के साथ दुल्हंडी के दिन हुआ था और कहा जाता है कि रवि ने अजय को मारने की धमकी दी थी।यह कारक स्पष्ट रूप से खुलासा करेगा कि यहाँ अपीलकर्ता दुल्हंडी के दिन हुई घटना में शामिल नहीं थे और इस तरह अपीलकर्ताओं को कोई उद्देश्य नहीं बताया जा सकता है।अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा था कि अपीलकर्ताओं ने कथित गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्यों के साथ एक सामान्य उद्देश्य साझा किया था।आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को सबूत की मदद से यह स्थापित करना होगा कि सबसे पहले, अपीलकर्ताओं ने एक सामान्य उद्देश्य साझा किया और वे गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे और दूसरा, यह साबित करना था कि वे कथित सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने की संभावना के बारे में जानते थे।ये दोनों तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं और याचिकाकर्ताओं को मृतक या सह-अभियुक्त से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है।निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ताओं को किसी भी स्पष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, और स्पष्ट रूप से पीडब्लू-9 अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि पवन को छोड़कर किसी भी आरोपी ने मृतक को चोट नहीं पहुंचाई थी और पिस्तौल से केवल एक गोली लगी थी।इसलिए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष यहां अपीलार्थियों के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, और निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन मामले में कमी पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार न करने के परिणामस्वरूप न्याय के प्रशासन में गर्भपात हुआ है, अर्थात् अपीलार्थियों की दोषसिद्धि, जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

नरेश @नेहरू बनाम हरियाणा राज्य [अरविंद कुमार, जे.]

787

11. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में 2017 के सी. आर. ए.-डी. डी. डी.